

# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएस

प्रकरण सं० : 147/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला  
हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

विजय कुमार पुत्र पोकरमल सैनी साकिन भादरा।

- प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : परोकार राज : वादी

निर्णय

दिनांक : 03-08-20

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम किराड़ाबड़ा के खसरा सं० 12/6, 338/1/4 की कुल 1.518 है० भूमि वर्तमान में विजय कुमार पुत्र पोकरमल सैनी साकिन भादरा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये ईन्ट भट्टा लगाकर उपयोग में लिया गया है। मौके पर भट्टा बन्द है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यों में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नहीं। खसरा सं० 12/6, 338/1/4 की कुल 1.518 है० भूमि में हो रहे गैर कृषिक कार्यों के लिए खातेदार दण्ड के भागीदार है। विवादित कृषि भूमि को खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सदभावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील हो चुकी है, प्रतिवादी को बार बार आवाज लगाई गई न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आया। इसलिए उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 संदीप चौधरी हाल तहसीलदार भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में रिपोर्ट हल्का पटवारी किराड़ाबड़ा प्रदर्श 1, चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम किराड़ाबड़ा सम्वत् 2071-74 प्रदर्श 2, नजरी नक्शा मौजा किराड़ाबड़ा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

परोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा वाद भूमि को ईन्ट भट्टे के उपयोग में लिया जा रहा है। कृषि भूमि में ईट भट्टे का निर्माण

होने से कृषि उपज नष्ट हो गई है तथा भूमि की किस्म बदल दी गई है। कृषि भूमि को कृषि कार्य से भिन्न उपयोग के लिए विधि के अनुसार सरकार द्वारा नियम बनाये गये हैं। कृषि भूमि को अकृषि उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन नियम 2007) वर्तमान में विद्यमान है लेकिन खातेदार कृषक द्वारा विधि के विरुद्ध ईट भट्टे का निर्माण किया गया है जो गैर कानूनी है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।


पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से भू अभिधारी विजय कुमार के विरुद्ध विवादित कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवासी, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि भू अभिधारी ऐसा कोई कार्य जो जोत की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दाई होगा।

हस्तगत प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र व साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट मौका पर मुख्य परीक्षा से ये साबित है कि भू अभिधारी प्रतिवादी विजय कुमार ने कृषि भूमि के रकबा 1.518 है० का ईट भट्टा लगाकर अकृषि कार्यों में उपयोग बिना किसी विधि सम्मत आदेश, सम्परिवर्तन आदेश, लाईसेंस, परमिट के किया है। अतः अकृषि कार्य जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। चूंकि प्रतिवादी बाद सम्मन तामील उपस्थित नहीं आया है न ही कोई जबाब पेश किया है। दूसरी तरफ वादी अपने पक्ष को साबित करने में सफल रहा है व प्रतिवादी वाद भूमि किराड़ाबड़ा के खसरा सं० 12/6, 338/1/4 की कुल 1.518 है० का खातेदार काश्तकार है।

अतः वादभूमि में प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वाद भूमि किराड़ाबड़ा के खसरा सं० 12/6, 338/1/4 की कुल 1.518 है० भूमि जो विजय कुमार पुत्र पोककरराम कौम सैनी के हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि है को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार वादभूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार ले। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03-8-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कस्वा)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 147/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

विजय कुमार पुत्र पोकरमल सैनी साकिन भादरा।

- प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि वाद भूमि किराड़ाबड़ा के खसरा सं० 12/6, 338/1/4 की कुल 1.518 है० भूमि जो विजय कुमार पुत्र पोकरराम कौम सैनी के हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि है को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार वादभूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार ले। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03-8-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
R.A.S.  
भादरा, जिला हनुमानगढ़  
उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़